राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर,

अपील संख्या :– 273/2023

श्रीमति अनुराधा चौधरी (कर्मचारी आई.डी.– आरजेटीओ201736035778)

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 16.01.2023
आदेश की दिनांक : 30.01.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री एम.एस. राघव, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. इस अपील में अपीलार्थी जो कि ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत है। उनका स्थानांतरण आलौच्य आदेश दिनांक 13.01.2023 (अनुलग्नक–2) के द्वारा पंचायत समिति मालपुरा से पंचायत समिति टोडाराय सिंह किया गया है, जिसे अपीलार्थी ने इस अपील में चुनौती दी है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि स्थानांतरण आदेश दिनांक 13.01.2023 (अनुलग्नक–2) जो पारित किया गया है, वो आदेश दिनांक 11.01.2023 (अनुलग्नक–1) की पालना में पारित किया गया है। आदेश दिनांक 11.01.2023 (अनुलग्नक–1) ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की ओर से मुख्य कार्यकारी अधिकारी को जारी पत्र है, जिसकी पालना में आदेश दिनांक 13.01.2023 मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा जारी किया गया है। ऐसे में नियमों की पालना नहीं की गई है। उनका यह भी तर्क रहा है कि आदेश पारित किये जाने से पूर्व धारा 89(8)(ii) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की अवहेलना करते हुए जारी किया गया है। उनका तर्क है कि उक्त नियम में यह प्रावधान है कि स्थानांतरण पंचायती समिति या जिला परिषदों के प्रधानों या यथास्थिति प्रमुखों से परामर्श करने के पश्चात् किया जायेगा। उनका तर्क है कि वर्तमान प्रकरण में प्रधान/प्रमुख से परामर्श नहीं किया गया है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानांतरण किया जाना गलत है।

3. हमनें अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा दिये गए तर्कों पर विचार किया। वर्तमान स्थानांतरण आदेश दिनांक 13.01.2023 के अवलोकन से प्रकट होता है कि उक्त आलौच्य आदेश जिला परिषद की प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित किये जाने के उपरांत पारित किया गया है। ऐसे में धारा 89(8)(ii) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की अवहेलना होने की स्थिति प्रकट नहीं होती है।

4. उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)